बाल विवाह : कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब

i’u 1% cky fookg fdls dgrs gS

उत्तर : जब किसी लड़के 21 वर्ष से कम और लड़की 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो तो ऐसी शादी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के सेक्शन 2बी के अनुसार बाल विवाह कहते हैं।

iz’u 2% cky fookg ls ckfydk dks D;k uqdlku gks ldrk gS

उत्तर : बाल विवाह से बालिका के शारीरिक मानसिक एवं शैक्षिक विकास के अवसर कम हो जाते हैं तथा कम उम्र में पारिवारिक सम्बन्धों एवं जिम्मदायियों का निर्वाह करना पड़ता है। साथ ही साथ छोटी उम्र में माँ बनने से जच्चा–बच्चा की जान को खतरा बना रहता है।

iz’u 3% cky fookg ls ckyd dks D;k uqdlku gks ldrk gS

उत्तर : शिक्षा बाधित होती है और उसके रोजगार के अवसर भी प्रभावित होते है। साथ ही साथ उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास भी अवरूद्ध होता हे। कम उम्र में पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने का दबाव बना रहता है जिससे उसकी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

iz’u 4% cky fookg jksdus dsfy;s dkSu lk dkuwu gS

उत्तर : बाल विवाह रोने के लिये भारत सरकार द्वारा सन् 2016 में बाल विवाह प्रतिषेध कानून 2006 बनाया या जो नवम्बर 2007 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। यह कानून बाल विवाह उत्सव तथा उसे सम्बन्धित सभी अनुषांगिक को प्रतिबंधित करता है।

iz’u 5% cky fookg dsfy;s nks"kh dkSu&dkSu gks ldrk gS

उत्तर : बाल विवाह में शामिल परिवार के लोग, अगुवा अथवा मध्यस्थ तथा समस्त बाराती व घराती दोषी होगें केवल महिलाओं तथा बच्चों को छोड़कर। यदि लड़का वयस्क है तो वह भी दोषी होगा। (बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के सेक्सन 9, 10, 11 के अनुसार)

iz’u 6% cky fookg dkuwu esa ltk dk D;k izko/kku gS

उत्तर : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के सेक्सन 9 के अनुसार कोई बालिग पुरूष जो 18 वर्ष से उपर का है और किसी बालिका के साथ विवाह करता है तथा सेक्शन 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह आयोजित करता है सहयोग प्रदान करता है अथवा शह देता है, दोषी पाये जाने पर 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास अथवा 1 लाख तक जुर्माने या दोनों से दंडित हो सकता है।

iz’u 7% cky fookg ls vlUrq"V cPpk viuh 'kknh jksdus ds fy;s D;k dj ldrk gS vkSj dc rd

उत्तर : बाल विवाह से असन्तुष्ट बच्चा वयस्क होने के दो साल बाद तक न्यायालय में कानूनी अलगाव की अर्जी दाखिल कर सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम–2006 सेक्सन 3–(2)।

iz’u 8% cky fookg jksdus ds fy, dkuwuh rkSj ij D;k fd;k tk ldrk gS

उत्तर : बाल विवाह रोकने के लिए अपने जिले के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अथवा जिलाधिकारी को सूचना देकर निषेधाज्ञा जारी करा कर शादी को रोका जा सकता हे। अधिनियम के सेक्सन–13।

iz’u 9% cky fookg jksdus ds fy, dgka f'kdk;r ntZ djk ldrs gS

उत्तर : बाल विवाह से सम्बन्धित जानकारी/शिकायत निम्नलिखित को कर सकते है–

सेक्सन 13–1 के अनुसार–

– बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अथवा जिलाधिकारी को सूचना या जनकारी देकर अथवा

– प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराकर/सूचना देकर

इसके अतिरिक्त–

– सम्बन्धित घ्थाने के बाल कल्याण अधिकारी को सूचना देकर

– 112 नं. डायलकर या 1090 महिला पावर लाईन अथवा 1098 चाईल्ड लाईन को सूचित किया जा सकता है।

i:'u 10 % cky fookg l: lEcfU/kr f kdk;r dku&dku dj ldrk g\

उत्तर : बाल विवाह से सम्बन्धित सूचना अथ्रवा शिकायत परिवार के सदस्य, गांव का मुखिया, पंचायत सदस्य, आशा, आंगनवाड़ी, बाल संरक्षण समिति के सदस्य और लड़का या लड़की स्वयं कर सकते हैं।

i:'u 11 % cky fookg e: vyxko d: fy, D;k ikfo/kku g vkj vyxk d: ckn cPp: dh ftEenkjh vkj [kp: dk ogu dku dj:xkA\

उत्तर : बाल विवाह से अलगाव के लिए किसी एक पक्ष द्वारा कानूनी अलगाव हेतु न्यायालय में याचिका दाखिल किया जा सकता है। यदि लड़की पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई है तो लड़के का पिता अथवा लड़का यदि बालिग है तो लड़की की दूसरी शादी अथवा उसके जीविकोपार्जन का खर्च वहन करेगा।

करोग नाबालिग बेटे अथवा बेटी की शादी खतरे में पड़ जायेगी तुम्हारी भी आजाादी।